

क्रमांक:एफ.2(1222)सूप्रौ./संस्था/12/02/05/2024

जयपुर, दिनांक 12-06-2024

कार्यालय आदेश

राजस्थान कम्प्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम, 1992 के नियम 29 (ख) के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा राजस्थान कम्प्यूटर अधीनस्थ सेवा के पद सहायक प्रोग्रामर की वर्ष 2023-24 की डीपीसी में श्री हेमचंद मीणा, सूचना सहायक का राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958, के नियम-13 के अन्तर्गत 17 सीसीए की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंका अनुसार इनके प्रकरण को सीलबंद लिफाफे में रखा जाकर पद रिक्त रखा गया।

निदेशक (अराजपत्रित) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ राज. जयपुर के आदेश क्रमांक सीबी/अराज/भर्ती-2023/855 दिनांक 28.12.2023 के द्वारा श्री हेमचंद मीणा, सूचना सहायक के विरुद्ध 17 सीसीए की कार्यवाही निस्तारित किये जाने के आदेश जारी किये गये।

श्री हेमचंद मीणा, सूचना सहायक को पदोन्नति वर्ष 2023-24 में दिनांक 12.09.2023 को उपलब्ध रिक्त के विरुद्ध वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर सहायक प्रोग्रामर की पे-मैट्रिक्स लेवल संख्या-10 पर एतद् द्वारा पदोन्नत किया जाता है। चयन सूची में इनका नाम श्री राम सिंह मीणा (अ.ज. जा.) के नीचे और श्री नरेन्द्र कुमार मीणा (अ.ज.जा.) के ऊपर प्रतिस्थापित किया जाता है।

श्री हेमचंद मीणा, सूचना सहायक के पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जा रहे हैं। पदोन्नति पर वास्तविक परिलाभ कार्यग्रहण की तिथि से देय होंगे।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(संजय जगदीश कर्णिक)

संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष

प्रतिलिपि- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग राज., जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज., जयपुर।
3. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट शासन सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज., जयपुर।
4. संबंधित विभागाध्यक्ष.....
5. संयुक्त सचिव एवं कार्यालयाध्यक्ष, सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज., जयपुर।
6. प्रभारी अधिकारी (वैबसाईट), सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, राज., जयपुर।
7. संबंधित राजसेवक।
8. लेखा शाखा/संस्थापन शाखा।
9. निजी/रक्षित पत्रावली।

अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी